Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

303
अक्तूबर 2004

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

किसान क्रेडिट कार्ड योजना संशोधित

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड योजना संशोधित की है, ताकि उसमें किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं, जैसे संबद्ध और गैर कृषि कार्यकलापों का समावेश किया जा सके। योजना का अर्थ होगा "किसान क्रेडिट कार्ड योजना" के अन्तर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए मीयादी ऋणों को कवर करने हेतु योजना। योजना का उद्देश्य एक ही स्थान पर किसानों की विस्तृत ऋण आवश्यकताओं के लिए लचीली और सरल प्रक्रिया से, संपूर्ण कृषि दृष्टिकोण अपनाते हुए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं सहित तथा सही हद तक उपयोग आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है।

लागू करने वाले बैंक

योजना को लागू करने का कार्य सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय निभाव का स्वरूप

योजना के अन्तर्गत दी गयी ऋण सुविधा मीयादी ऋण और कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए परिक्रामी (रिवाल्विंग) नकदी स्वरूप की होगी।

मात्रा

- योजना में फसलों के लिए वर्तमान में उपलब्ध अल्पकालिक ऋण सीमा सहित मीयादी ऋण तथा कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी सम्मिलित होगी। बैंक, किसानों द्वारा अभिग्रहण के लिए प्रस्तावित आस्ति/आस्तियों की इकाई लागत, कृषि में पहले से आरंभ किए गए कार्यकलापों, उनकी चुकौती क्षमता पर बैंक के निर्णय यथा किसानों पर ऋण का भार, उनकी वर्तमान ऋण देयताओं सहित, के आधार पर कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी और अवधि के लिए ऋण की मात्रा निर्धारित करें।
- सावधि आस्तियों के आरंभिक निवेश तथा/अथवा उधारकर्ताओं की कार्यकारी पूंजी अपेक्षाओं/आवर्ती व्यय को सीमा निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। कार्यशील पूंजी/आवर्ती व्यय सीमा परिक्रामी नकदी ऋण के रूप में हो सकता है। बैंक, अपने विवेकाधार से, किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत आहरित की जाने वाली समग्र अधिकतम राशि निर्धारित करते समय, पारिवारिक श्रम को ध्यान में रखते हुए उपभोग ऋण का घटक बना सकते हैं। कुल सीमा का संबंध उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और अनुमानित शुद्ध आय से होगा।

बीते वर्षों के दौरान क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू सिर्फ़ ऋण से शुरू करते हुए ऋण देने, पर्यवेक्षण, वित्त तथा विदेशी मुद्रा मामलों पर विनियमों पर जानकारी उपलब्ध कराता रहा है। अतएव, यह उचित समझा गया कि इस प्रकाशन का नाम बदला जाये। इस अंक से पहले के सीआइआर का नाम बदल कर मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू कर दिया गया है।

एकल किसान क्रेडिट कार्ड से सुविधाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा हो कि एक ही कार्ड के माध्यम से मीयादी तथा अल्पावधि/कार्यशील पूंजी ऋण, दोनों ही सुविधाएँ दी जा सकें। वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करायी जाने वाली पास-बुक में रिकार्ड रखने के लिए तीन अलग अलग खण्ड बनाए जाएँ-

(i) अल्पावधि ऋण/फसल ऋण

(ii) कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, और

(iii) आवधिक ऋण

अलबत्ता, बैंक यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न ऋण सुविधाओं के लेन-देन रिकार्ड अलग-अलग रखे जाएं।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
किसान क्रेडिट कार्ड योजना संशोधित	1
गौण (सबऑर्डिनेटेड) ऋण विलेखों के निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश	2
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों की अवधिपूर्णता से पूर्व चुकौती	3
सूचना	
कहीं भी कभी भी बैंकिंग	4
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004	4

ऋण के उपयोग में लचीलापन

उधारकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत दी गयी किसी भी अथवा सभी सुविधाओं का उपयोग करने के पात्र होंगे। बैंक इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि कार्ड के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ऋण सीमा का उपयोग उधारकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार एक या अधिक आस्तियों को जुटाने के लिए कर सकता है। इसी प्रकार, कार्ड धारक को यह सुविधा भी दी जानी चाहिए कि वह योजना के आस्ति लेने की योजना/चरण के अनुसार एक अथवा अधिक किस्तों में आवधिक ऋण सीमा का उपयोग कर सके। बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऋण का अन्तिम उपयोग उचित रूप से हो रहा है।

जमानत/मार्जिन/ब्याज दर/विवेकपूर्ण मानदण्ड

जमानत, मार्जिन, ब्याज दर और विवेकपूर्ण मानदण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड के अनुदेशों के अनुसार लागू होंगे। साथ ही, बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि-

(i) किसी भी ऋण सुविधा का अनर्जक होना स्वतः ही मालूम हो जाता है।

(ii) किसी भी एक सुविधा के अनर्जक हो जाने पर विभिन्न ऋण सुविधाओं से आहरण स्वतः बंद हो जाता है; और

(iii) प्रतिभूति, मार्जिन, ब्याज दर और विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के लिए उचित व्यवस्था हो ताकि किसी एक/विभिन्न सुविधाओं के लिए इनका दुरुपयोग न हो सके।

चुकौती

कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए अल्पावधि ऋण/फसल ऋण तथा कार्यशील पूंजी परिक्रामी नकदी ऋण सीमा के रूप में उपलब्ध कराना जारी रहेगा तथा इसकी चुकौती 12 माह में की जाएगी। आवधिक ऋण की अधिकतम चुकौती अवधि 5 वर्ष होगी तथा कार्यकलाप/निवेश के स्वरूप पर निर्भर होगी।

सीमाओं का नवीकरण

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण सीमा के संबंध में, बैंक, उस सीमा के परिचालन से संतुष्ट होने पर, उधारकर्ता द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलाप पर बढ़ी हुई लागत तथा अतिरिक्त कार्यकलापों, यदि कोई हों तो, के मद्देनज़र नवीकरण की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार, बैंक कार्ड के अन्तर्गत ऋण सीमा की वार्षिक समीक्षा/नवीकरण के समय उधारकर्ता को अतिरिक्त आवधिक ऋण सीमा स्वीकृत कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि

किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत मीयादी ऋण सुविधा लागू करने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ा कर वर्तमान में 5 वर्ष किया जाना चाहिए।

पुनर्वित्त

- किसान क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित कार्यशील पूंजी घटक को कवर करते हुए सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋणों के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को स्वतःवित्त योजना (एआरएफ) के अन्तर्गत निवेश ऋण विंडो पर, लागू शर्तों के अनुसार, मीयादी ऋण घटक के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त उपलब्ध होगा।
- अलबत्ता, नाबार्ड पुनर्वित्त उपभोग ऋण घटक के लिए लागू नहीं होगा।

गौण (सबऑर्डिनेटेड) ऋण विलेखों के निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों के लिए टीयर II तथा टीयर III पूंजी के अन्तर्गत गौण (सबआर्डिनेटेड) ऋण विलेखों के निर्गम के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

(i) प्राथमिक व्यापारी का निदेशक मण्डल गौण ऋण की राशि बढ़ाये जाने के बारे में निर्णय ले।

(ii) जारी किये जाने के साथ भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूति की समान अवशिष्ट अवधि समाप्ति के प्रतिफल पर विलेख का ब्याज पर फैलाव 200 बीपीएस से अधिक नहीं होना चाहिए,

(iii) विलेख विशुद्ध वैनिला होने चाहिए और उनके साथ विकल्प आदि जैसे लक्षण नहीं जुड़े होने चाहिए।

(iv) ऋण प्रतिभूतियों के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए।

(v) गौण ऋण विलेखों का निर्गम, जहां कहीं लागू हो, 30 सितम्बर 2003 के सेबी के, समय समय पर यथा आशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होना चाहिए।

(vi) गौण ऋण के गैर सूचीबद्ध निर्गमों को जारी किये जाने के मामले में, सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए सेबी द्वारा यथानिर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए।

(vii) अनिवासी भारतीयों/विदेशी संस्थागत निवेशकों को विलेख जारी करते समय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी को चाहिए कि वह इस संबंध में सेबी/अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन करे।

(viii) प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अन्य प्राधिकृत व्यापारियों/बैंकों के गौण ऋणों में निवेश को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया जायेगा। अन्य प्राधिकृत व्यापारियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टीयर II तथा टीयर III बांडों में प्राधिकृत व्यापारी का सकल निवेश निवेशकर्ता प्राधिकृत व्यापारी की कुल पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पूंजी वही होगी जो पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए गिनी जायेगी।

(ix) प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें जुटायी गयी पूंजी, जुटायी गयी राशि, विलेख की अवधि समाप्ति, ब्याज दर आदि ब्यौरे दिये जायेंगे।

सीआइआर सीडी पर

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के सभी 300 अंक अब कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति इसे बिना-शुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृपया संपादक मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया नोट करें कि सीडी की आपूर्ति में लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों की अवधिपूर्णता से पूर्व चुकौती

रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विविध गैर बैंकिंग कंपनियों, और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में इन कंपनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली सार्वजनिक जमाराशियों/जमाराशियों की अवधिपूर्णता से पूर्व चुकौती पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित उपबंधों की समीक्षा की है। संशोधित प्रावधान इस प्रकार हैं-

जमाराशियों का समयपूर्व भुगतान

जमाराशियों के समयपूर्व भुगतान की अनुमति के प्रयोजनार्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में अनौपचारिक सलाहकार समूह के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विविध गैर बैंकिंग कंपनियों, अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को दो श्रेणियों में अर्थात (i) समस्याग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विविध गैर बैंकिंग कंपनियों और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और (ii) सामान्य रूप से संचालित कंपनियों में वर्गीकृत किया जाए ।

समस्याग्रस्त कंपनियां

समस्याग्रस्त कंपनियों द्वारा किसी जमाराशि (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जनता की जमाराशि) की अवधि से पूर्व चुकौती करने या जनता की जमाराशियों/जमाराशियों, जैसी भी स्थिति हो, की जमानत पर कोई ऋण मंजूर करने की मनाही है। अलबत्ता, जमाकर्ताओं को अवधि से पूर्व आहरण का अधिकार प्रदान करने वाली वर्तमान संविदाएं अपरिवर्तित रहेंगी, परंतु किसी समस्याग्रस्त कंपनी के मामले में जहां जमाकर्ता को ऐसा कोई अधिकार नहीं है या जहां समस्याग्रस्त कंपनी ने चुकौती के लिए जमाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अपना अधिकार सुरक्षित रखा है तो ऐसी कंपनी, अवधि से पूर्व कोई चुकौती नहीं करेगी। परंतु उक्त निषेध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

(i) जमाकर्ता की मृत्यु - जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जनता की जमाराशि अथवा जमाराशि की, रुद्धता अवधि के दौरान भी, उत्तरजीविता वाक्यांश के साथ संयुक्त खाते के मामले में जीवित जमाकर्ता/जमाकर्ताओं को अथवा नामिती अथवा मृतक जमाकर्ता के कानूनी वारिस को, अवधि से पूर्व चुकौती की जा सकती है। समस्याग्रस्त कंपनी द्वारा इस सुविधा की अनुमति केवल उत्तरजीविता वाक्यांश सहित संयुक्त खाता धारकों/नामिती/कानूनी वारिस द्वारा कंपनी को संतोषजनक संगत प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

(ii) बहुत छोटी तथा अन्य जमाराशियां - समस्याग्रस्त कंपनियां, न्यूनतम रुद्धता अवधि के पश्चात् 10,000 रुपये तक की जमाराशियों के मूल धन का पूरा भुगतान कर सकती हैं या उनकी जमानत पर ऋण मंजूर कर सकती हैं। अन्य जमाराशियों के समय से पूर्व भुगतान करने की अनुमति देने में किसी प्रकार के पक्षपात से दूर रहने के लिए 10,000 रुपये से अधिक की जमाराशियों की भी, एकल जमाकर्ता/प्रथम नामधारी जमाकर्ता के अनुरोध पर, किसी आकस्मिक स्वरूप के खर्च को पूरा करने के लिए, संबंधित समस्याग्रस्त कंपनी के परिस्थितियों के संबंध में संतुष्ट होने पर समय से पूर्व चुकौती की जा सकती है परंतु समय से पूर्व भुगतान की राशि किसी भी प्रकार 10,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10,000 रुपए से अधिक की जमाराशियों के मामले में शेष राशि और जमाराशि पर ब्याज केवल अवधिपूर्णता के पश्चात् ही देय होगी।

सामान्य रूप से संचालित कंपनियां

सामान्य रूप से संचालित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रुद्धता अवधि के पश्चात जनता की जमाराशियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों/विविध गैर बैंकिंग कंपनियों के मामले में जमाराशियों) की अवधि से पूर्व चुकौती की सुविधा अब इसके बाद उक्त कंपनी के विवेक पर होगी और जमाकर्ताओं द्वारा अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है। परंतु अवधि से पूर्व जमाकर्ता को आहरण का अधिकार प्रदान करने की वर्तमान संविदाएं अपरिवर्तित रहेंगी। इसके आगे जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कंपनी, रुद्धता अवधि के अंदर भी जमाराशि की, उत्तरजीविता वाक्यांश के साथ संयुक्त खाते के जीवित खाताधारकों को अथवा नामिती अथवा मृतक जमाकर्ता के कानूनी वारिस को संतोषजनक संगत प्रमाण प्रस्तुत करने पर अवधि से पूर्व चुकौती कर सकती है।

जमा खातों को मिलाना

अवधिपूर्णता से पूर्व चुकौती के प्रयोजन के लिए एकल/प्रथम नामधारी जमाकर्ता के नाम के सभी जमाखातों को मिला दिया जाएगा और एक जमा खाता माना जाएगा।

अवधि से पूर्व आहरण के लिए ब्याज दर

जब कोई कंपनी जमाकर्ता के अनुरोध पर या केवल अपने विवेक पर, जैसा भी मामला हो, किसी जमाराशि या जनता की जमाराशि की उसकी अवधिपूर्णता से पूर्व चुकौती (जमा कर्ता की मृत्यु के मामले सहित) करती है तो वह नीचे बॉक्स में उल्लिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगी:

अवधिपूर्णता की सूचना

कंपनियां अपने जमाकर्ताओं को उनकी संबंधित जमाराशियों/जनता की जमाराशियों की अवधिपूर्णता से दो महीने पूर्व ऐसी अवधिपूर्णता के ब्यौरे की सूचना देंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी जमाराशियों का जमाकर्ता द्वारा दावा न किए जाने पर अवधिपूर्ण जमाराशियां कंपनी के पास न रहें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियों के अवधि से पूर्व आहरण के लिए देय ब्याज दर

समयावधि	ब्याज की दर
3 महीने तक (रुद्धता अवधि)	कोई चुकौती नहीं (जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुकौती के मामले में लागू नहीं)
3 महीने के बाद परंतु 6 महीने से पूर्व	कोई ब्याज नहीं
6 महीने के बाद परंतु अवधिपूर्णता की तारीख से पूर्व	जिस अवधि के लिए जनता की उक्त जमाराशि जमा रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर देय होगी या उस अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उस न्यूनतम दर से जिसके लिए उक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता की जमाराशि स्वीकार की जाती है, 3 प्रतिशत कम ब्याज दर देय होगी।

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियों के अवधि पूर्व आहरण के लिए देय ब्याज दर

समयावधि	ब्याज की दर
जमाराशि की तारीख से 12 महीने तक (रुद्धता अवधि)	कोई चुकौती नहीं (जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुकौती के मामले में लागू नहीं)
12 महीने की अवधि बीत जाने के बाद परंतु अवधिपूर्णता की तारीख से पहले	जिस अवधि के लिए जनता की उक्त जमाराशि जमा रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर देय होगी या उस अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उस न्यूनतम दर से जिसके लिए उक्त अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता की जमाराशि स्वीकार की जाती है, 3 प्रतिशत कम ब्याज दर देय होगी।

30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर 2004 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

सूचना

कहीं भी कभी भी बैंकिंग

केंद्रीकृत कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) एक अन्तर-शाखा नेटवर्किंग तथा डेटा शेयरिंग प्लेटफार्म है जिससे *कभी भी* तथा *कहीं भी* बैंकिंग को वास्तविकता में बदला जा सकता है। सीबीएस को लागू करते समय ग्राहक का रुतबा शाखा ग्राहक से बदल कर बैंक ग्राहक का हो जाता है। ग्राहक जब सीबीएस शाखा ग्राहक होता है तो यह बात बात मायने नहीं रखती कि ग्राहक बैंक की किस शाखा से कारोबार करता है, उसे सभी बैंकिंग सुविधाएं सीबीएस के अन्तर्गत जुड़ी एकाधिक शाखाओं के जरिये उपलब्ध करायी जाती हैं। ग्राहक अपनी बैंकिंग जरूरतों, उदाहरण के लिए नकदी जमा करने, पैसे निकालने, चेक जमा करने, निधियों का अंतरण करने आदि के लिए सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी जा सकता है (जरूरी नहीं कि यह उसकी अपनी शाखा हो)।

सीबीएस को लागू करने से, ग्राहक सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी निम्नलिखित लेनदेन कर सकता है -

- सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी नकदी जमा करायी जा सकती है तथा वह राशि सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी ग्राहक के खाते में हाथों हाथ जमा लिख दी जायेगी।
- सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी समाशोधन चैक जमा कराये जा सकते हैं तथा राशि लेकर सीबीएस शाखाओं में से किसी में भी रखे ग्राहक के खाते में जमा लिख दी जायेगी।
- ग्राहक किसी भी सीबीएस शाखा में चेक प्रस्तुत कर सकता है तथा किसी भी सीबीएस शाखा में रखे अपने खाते से राशि निकाल सकता है।
- किसी भी सीबीएस शाखा में आहरित चेक, उसी शाखा में आहरित चेक के रूप में माने जायेंगे। इस तरह से किसी भी सीबीएस शाखा में आहरित बाहरी स्टेशन के चेक भी हाथों हाथ क्लीयर किये जाते हैं तथा किसी भी सीबीएस शाखा में रखे ग्राहक के खाते में जमा लिखे जाते हैं।
- यदि दूसरी पार्टी का खाता भी सीबीएस शाखाओं में से किसी एक में भारत में कहीं भी स्थित, है तो ग्राहक को राशियां मांग ड्राफ्ट/तार अंतरण के जरिये भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक अपने खाते में से किसी अन्य सीबीएस शाखा में (स्वयं के खाते में या तीसरी पार्टी के) खाते में राशियां अंतरित कर सकता है।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन से यह भी सुविधा मिलती है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीनें तथा टेलिफोन बैंकिंग जैसे इलैक्ट्रानिक डिलीवरी चैनल शुरू किये जा सकते हैं। किसी ग्राहक की बैंकिंग जरूरतों को व्यक्तिगत रूप से किसी भी शाखा में आये बगैर उस तक पहुंचाया जा सकता है। कई बार उसे ये सेवाएं ठीक उसके कारोबार के स्थान पर, घर पर, बाजार में और यहां तक कि यात्रा करते समय भी दी जा सकती हैं। यह *कहीं भी बैंकिंग* का भी विस्तारित लक्षण है। यह सुविधा 24x7 आधार पर अर्थात वर्ष भर में सभी दिनों के आधार पर उपलब्ध है।

एटीएम तथा टेलिफोन बैंकिंग निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं-

- शेष राशि की पूछताछ
- चेक की स्थिति की पूछताछ
- चेकबुक के लिए अनुरोध
- इलैक्ट्रानिक विवरणी के लिए अनुरोध
- भुगतान रोको अनुदेश
- ऑनलाइन नकदी आहरण (केवल एटीएम के जरिये)
- निधियों का ऑनलाइन अंतरण

कोर बैंकिंग सौल्यूशन ने न केवल वह तरीका बदल दिया है जिस तरह से लोग अतीत में बैंकों का इस्तेमाल किया करते थे बल्कि इसने अलग अलग तरह की सेवाओं और चैनलों की सुपुर्दगी के लिए नये रास्ते खोल दिये हैं। इन सबसे ग्राहक की खुशी ही बढ़ेगी। खुदरा तथा कार्पोरेट मौड्यूल, दोनों के साथ इन्टरनेट बैंकिंग में अथाह डेटा भण्डारण क्षमता तथा बैंक की कोर बैंकिंग शाखाओं के ग्राहकों के लिए लेनदेन सुविधाओं की अथाह क्षमता होती है। बैंक के इन्टरनेट बैंकिंग उत्पाद ऊपर बतायी गयी सेवाओं के अलावा नीचे बतायी गयी सुविधाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं-

- ऑनलाइन तथा शेड्यूल के हिसाब से बिल भुगतान
- तीसरी पार्टी निधि अंतरण
- ट्रेड वित्त सूचना
- सीमा संबंधी सूचना
- लेनदेनों का थोक अपलोड
- मेल तथा अनुरोध

आगामी अंक : वितरण माध्यमों पर ब्यौरे।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004

भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उन शाखाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जो शाखाएं सार्वजनिक भविष्य निधि योजना 1968 का कार्य करती हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पहली नवम्बर 2004 तक योजना का परिचालन करें।

योजना की अवधि	5 वर्ष, जिसे 3 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।
ब्याज दर	9 प्रतिशत प्रति वर्ष
ब्याज केआकलन का अंतराल	तिमाही
कर	ब्याज पूर्णत: कर योग्य है
निवेश के लिए गुणक	1,000 रुपये
अधिकतम निवेश सीमा	15 लाख रुपये
न्यूनतम पात्रता आयु	60 वर्ष (55 वर्ष केवल उनके लिए जो स्वैच्छिक अथवा विशेष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हुए हों।)
अवधि समाप्ति से पहले आहरण की सुविधा	एक वर्ष की धारिता के पश्चात परन्तु दण्ड के साथ उपलब्ध है।
अंतरणीयता	उपलब्ध नहीं
खरीदना बेचना (ट्रेडेबिलिटी)	उपलब्ध नहीं
नामांकन सुविधा	उपलब्ध है
धारिता का प्रकार	सामान्यत: एकल, संयुक्त रूप में रखने की अनुमति है परन्तु केवल जीवन साथियों को ही अनुमति होगी कि संयुक्त रूप से लाभार्थियों के साथ खाता खोले
आवेदन पत्र के फार्म	डाक घरों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नामित शाखाओं में उपलब्ध

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऑण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**